उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

संख्या-245/2018/2714/71-1-2018-पी0एफ0-60/1999टी0सी0

लखनऊ: दिनांक : 18 सितम्बर, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

डा0 संदेश कुमार श्रीवास्तव, सर्जन, अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, सिद्धार्थनगर को सेवा स्थानान्तरण के आधार पर मेडिकल कालेज, कन्नौज सम्बद्ध बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर के सर्जरी विभाग में प्रवक्ता के पद पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-970/71-1-2005-ग-39/2004, दिनॉक 17.03.2005 द्वारा 01 वर्ष अथवा लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए तैनात किया गया था। डा0 संदेश कुमार श्रीवास्तव को कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 06.05.2010 द्वारा मेडिकल कालेज, कन्नौज सम्बद्ध मेडिकल कालेज, गोरखपुर के सर्जरी विभाग के रिक्त सहआचार्य के पद पर सेवा स्थानान्तरण के आधार पर 01 वर्ष से अनाधिक अवधि अथवा अग्रेतर आदेशों तक के लिए पदनामित/तैनात किया गया था तथा शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 15.05.2018 के द्वारा डा0 संदेश श्रीवास्तव को उनके मूल विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में वापस किए जाने के आदेश निर्गत किए गए।

2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-एम0ई0-2/2018/1087, दिनॉक 03.08.2018 पर सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय डा0 संदेश कुमार श्रीवास्तव, आचार्य (सेवा स्थानान्तरण), सर्जरी विभाग, मेडिकल कालेज, कन्नौज सम्बद्ध बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर को शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक15.05.2018 के क्रम में कार्यमुक्त न करते हुए बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में सहआचार्य (सर्जरी) के पद पर यथावत् बनाए रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान करते है।

जयन्त नार्लिकर
विशेष सचिव।

संख्या-245/2018/2714(1) 71-1-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
4- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, गोरखपुर/कन्नौज।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, गोरखपुर/कन्नौज।
6- कोषाधिकारी, गोरखपुर/कन्नौज ।
7- चिकित्सा अनुभाग-3
8- संबंधित चिकित्सा शिक्षक।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in